

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या - ...22.../2018
तेजन मुण्डा बनाम् राज्य एवं पीटर मुण्डा वगै०


आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

18/08/2018

अपीलार्थी तेजन मुण्डा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या- 48/2014-15 में दिनांक 25.05.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S- 215 C.N.T. Act. के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ U/S- 5 Limtation Act.1963 के तहत कालबाद्ध को क्षान्त हेतु आवेदन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश की सच्चिप्रति संलग्न है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 05/09/2018 को रखें।



उपायुक्त,
रामगढ़।

05/09/18

अपीलार्थी - पुकार करने पर अनुपस्थित।
दिनांक 19/09/2018 को रखें।



19/09/2018

पी० पदार्थ अन्वय कार्य में व्यस्त।
दिनांक - 12/10/2018 को रखें।



81/08/2018

12/10/2018


अपीलार्थी - वकालत हाजरी
आवेद हेतु सर्वे


12/10/18

12/10/2018

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लंबांति है। फलतः उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकूल होगा। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन पोषणीय नहीं हैं, अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।


12/10/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

1. अतिरिक्त न्यायाधीश रामगढ़ - न्यायालय
दिनांक 8/10/2018